

राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्त भवन , "ए " ब्लॉक, जनपथ , जयपुर- 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प 4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न . 10126/3719

दिनांक :- 12/07/19

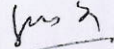
कार्यालय आदेश

श्री /श्रीमती / सुश्री मुकेश कुमार जाट [लिंक न . 10126] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय उप कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, किशनगढ़ रेनवाल, जयपुर - [33301] को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अंतर्गत असाधारण अवकाश (अवैतनिक) स्वीकृत किया जाता है।

दिनांक 12/06/2019 से 20/06/2019 तक 9 दिवस (चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर)

कुल 9 दिवस

उक्त कुल 9 दिवस का असाधारण अवकाश (अवैतनिक) का इन्द्राज श्री /श्रीमती / सुश्री मुकेश कुमार जाट की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावे।


(मुकुन्द सोहोनी)

निदेशक

क्रमांक :- प 4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न . 10126/3719

दिनांक :- 12/07/19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. उप कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, किशनगढ़ रेनवाल, जयपुर
2. कोषाधिकारी जयपुर
3. श्री /श्रीमती / सुश्री मुकेश कुमार जाट [10126] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय उप कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, किशनगढ़ रेनवाल, जयपुर
4. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक
5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली


(शिल्पी कौशिक)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)